कार्यालय चुनाव अधिकारी
गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब
नानकमत्ता, जिला ऊधम सिंह नगर

नोटिस

सं0– 06/GSNMS/Elections/2016 दिनांक : 11-11-2016

सर्वसाधारण एवं सभी संबंधित व्यक्तियों को गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबंधक कमेटी के चुनाव के संबंध में निम्न सूचनायें दी जा रही है–

1– गुरूद्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त **सभी** आवेदन पत्रों की हल्का अनुसार सूची पूर्व में जारी की गयी थी। उपरोक्त आवेदन पत्रो पर आपत्तियों को आमत्रित किया गया था तथा कुल 78 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। यह आपत्तियां विभिन्न गुरूद्वारो के रजिस्ट्रेशन के सम्बंध में थी। इन सभी आपत्तियों को ध्यानपूर्वक अवलोकित किया गया तथा आपत्तिकर्ता और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया तथा उनको सुना भी गया। उचित एवं ध्यानपूर्वक जाचं के उपरांत यह पाया गया कि कुछ गुरूद्वारे अधिसूचना संख्या 1 दिनांक 27.09.2016 के अनुलग्नक 'अ' (गुरूद्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु शर्ते) मे दी गयी शर्तो को पूर्ण नही करते है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कुछ गुरूद्वारो का नाम सूची में एक से अधिक बार उपलब्ध था। अतः उचित जांच के उपरांत कुछ गुरूद्वारो के नाम गुरूद्वारा रजिस्ट्रेशन सूची मे से हटाये गये हैं। जांच के उपरांत स्वीकृत गुरूद्वारो की सूची (हल्का अनुसार) जारी की गयी है। यह सूचियॉ गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के कार्यालय मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है तथा इन्हे गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की वेबसाईट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

2– स्वीकृत गुरूद्वारो की सूची के अनुसार ही एक डेलीगेट का चयन प्रत्येक स्वीकृत गुरूद्वारे से होगा। यदि त्रुटिवश किसी एक गुरूद्वारे का नाम एक से अधिक बार सूची में उपलब्ध है तो उस परिस्थिति मे भी केवल एक ही डेलीगेट को उस गुरूद्वारे से चुना जायेगा। ऐसी परिस्थिति मे दो डेलीगेट एक गुरूद्वारे से नही लिये जायेंगे। एक ही गुरूद्वारे से दो डेलीगेट के नाम आने पर केवल एक ही डेलीगेट को मान्यता दी जायेगी और इस संबंध में चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

3– इस बात की शिकायत प्राप्त हो रही की कुछ अनाधिकृत एवं फर्जी व्यक्ति विभिन्न गुरूद्वारो मे जाकर वहा से डेलीगेट के चुने जाने से सम्बंधित नामांकन प्रपत्र तथा गुरूद्वारे से डेलीगेट के हक में घोषणा पत्र यह बोलकर प्राप्त कर रहे है कि उन्हे गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब से अधिकृत किया गया है। यहां स्पष्ट किया जाता है कि इस चुनाव की प्रक्रिया में गुरूद्वारो में जाकर नामांकन पत्र या डेलीगेट से सम्बंधित घोषणा पत्र या अन्य कोई प्रपत्र प्राप्त करने के लिए गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के कार्यालय या चुनाव अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को अधिकृत नही किया गया है। यदि कोई व्यक्ति डेलीगेट का नामांकन पत्र या घोषणा पत्र प्राप्त करने के लिए आता है तो वह पूर्णतः फर्जी व अनाधिकृत है।

समस्त गुरूद्वारो से निवेदन है कि वह स्वयं तथा उचित प्रकिया अपनाकर डेलीगेट को चुने तथा चुने हुये डेलीगेट का नामांकन पत्र तथा चुने जाने के संबंध में घोषणा पत्र गुरूद्वारे या गुरूद्वारे की कमेटी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के जरिये ही गुरूद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में चुनाव अधिकारी के कार्यालय मे जमा कराये। डेलीगेट के चुने जाने के संबंध में घोषणा पत्र तथा उसका नामांकन पत्र दिनांक 30.11.2016 से 05.12.2016 तक चुनाव अधिकारी के कार्यालय मे जमा कराये जा सकते है। जमा करते समय कार्यालय द्वारा प्रपत्रो की पूर्ण जाच की जायेगी तथा इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल संबंधित गुरूद्वारे के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही नामांकन पत्र व घोषणा पत्र जमा कराया जा रहा है। घोषणा पत्र सरल हिन्दी या पंजाबी भाषा मे हो सकता है जिससे यह स्पष्ट हो कि किस व्यक्ति को उस गुरूद्वारे से डेलीगेट चुना गया है, उस व्यक्ति की फोटो पिता/पति का नाम पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर, ई–मेल(यदि हो) तथा उसके वैध आधार कार्ड या वैध पैन कार्ड या वैध ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति संलग्न हो।

4– गुरूद्वारे रजिस्ट्रेशन से संबंधित सूची को अंतिम रूप प्रदान करते समय उचित व पूर्ण जांच की गयी है तथा उचित सावधानी अपनाई गयी है। परन्तु यह हो सकता है कि कोई त्रुटि रह गयी हो जैसे की एक गुरूद्वारे का वर्णन एक से अधिक बार है या किसी ऐसे गुरूद्वारे का नाम त्रुटिवश स्वीकृत हो गया है जो कि आवश्यक शर्तो को पूर्ण नही करता है। ऐसी परिस्थिति मे ऐसे गुरूद्वारो के संबंध मे जानकारी उपलब्ध होने पर उन गुरूद्वारो से डेलीगेट को मान्यता नही दी जायेगी। एक से अधिक बार किसी गुरूद्वारे का सूची मे किसी भी नाम से वर्णन होने पर उक्त गुरूद्वारे से केवल एक ही डेलीगेट को मान्यता दी जायेगी।

ह0/–

(कंवर अमनिन्दर सिंह)
चुनाव अधिकारी